UPMO0010066382026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्या० संख्या–11, मुरादाबाद।

उपस्थित– घनेन्द्र कुमार, (उच्चतर न्यायिक सेवा) ID No.–UP 1664

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1896/2026

सुलेमान पुत्र रहमतुल्ला मौ0 मियां कालोनी गली नं0–1, थाना मझोला, जनपद मुरादाबाद , ...प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....वादी/अभियोजन पक्ष

अपराध संख्या–35/2025,
धारा–317(4),317(5)305(C),
317(2) बी0 एन 0 एस 0
थाना–जी0 आर 0 पी0,
जिला–मुरादाबाद।

दिनांक–19.06.2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त सुलेमान की ओर से उपरोक्त प्रकरण में इस न्यायालय में यह द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र उसे जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, दिनांक 26.03.2025 को उ 0 नि0 जयचन्द मय हमराह थाना हाजा से वहवाले रपट नं0 53 समय 18.08 बजे वास्ते देखरेख शांति व्यवस्था संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु में मामूर थे। पुलिसदल को देखकर दो व्यक्ति सकपकाकर स्टेशन अधीक्षक स्टोर के पीछे खाली पड़ी पुरानी पार्किंग की तरफ भागे। शक होने पर दोनों व्यक्तियों पकड़ लिया। नाम पता पूछने पर पहले ने अपना नाम आरिफ बताया व दूसरे ने अपना नाम सुलेमान पुत्र रहमतुल्ला बताया। जिसकी जामा तलाशी से इसकी पहनी पैंट की दाहिनी जेब से दो अदद मोबाईल बरामद हुए। बरामदा मोबाईलों के बारे में कड़ाई से पूछने पर गलती की माफी मांगते हुए पकड़े गये व्यक्तियों ने बताया कि ये लोग मुरादाबाद रेलवे स्टेशन व ट्रेनों में आस–पास के रेलवे स्टेशनों से चोरी करते हैं और सिम निकालकर तोड़कर फैंक देते हैं और उन्हें चलते फिरते राहगीरों के सस्ते दामों में बेचकर अपना शौक पूरा करते हैं। पकड़े गये अभियुक्त को उनके जुर्म से अवगत कराकर नियमानुसार समय 19.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

3– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना एवं थाने की रिपोर्ट तथा उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

Digitally signed by GHANENDRA KUMAR
Date: 2026.06.19 16:49:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में गलत तरीके से अभियुक्त बनाया गया है। मु0 अ 0 सं0 35/2025 मं प्रार्थी अभियुक्त नहीं है। वादी मुकदमा ने प्रार्थी को मु0 अ 0 सं0 26/2025 में मोबाइल चोरी करने के आरोप में अभियुक्त बनाया है। प्रार्थी पूर्व में जमानत परथा। प्रार्थी दिनांक 12.05.2026 से वारंट के आधार पर जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– इसके विरूद्ध अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त का आचरण उक्त वाद के विचारण में विलंब कारित करना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाये।

6– अभियोजन कथनानुसार, प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से **चोरी के दो अदद मोबाईल फोन** बरामद होने का आरोप है। प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था। अभियुक्त के लगातार गैर हाजिर रहने के पश्चात् न्यायालय् द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 08.05.2026 को गैर जनानतीय अधिपत्र की आदेशिकाएं जारी की गयीं। दिनांक 12.05.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त का 346 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 का वारंट बनाकर उसे जिला कारागार प्रेषित किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 12.05.2026 से ही जिला कारागार में निरुद्ध हैं। प्रार्थी/अभियुक्त को गुणदोष पर पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार है, तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **सुलेमान** द्वारा **अपराध सं.–35/2025, अन्तर्गत धारा–317(4),317(5)305(C),317(2) बी0 एन 0 एस 0, थाना–जी0 आर 0 पी0, जनपद–मुरादाबाद** में प्रस्तुत उपरोक्त द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा रुपये 50,000/- की धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए कि-

1- प्रार्थी/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः संलिप्त नहीं होगा।

2- प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।

3- प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अभियोजन साक्षीगण को न डराएगा और न ही धमकाएगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा।

4– प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।

(घनेन्द्र कुमार)

दिनांक-19.06.2026

(I.D. No.-U.P. 1664)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय सं0–11, मुरादाबाद,